

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या :- 32 / 2019

प्रार्थी

पुखदास पुत्र भंवरदास, जाति साद, निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी,
जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. भल्लाराम पुत्र रामाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी,
जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत बोरानाडा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बोरानाडा।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,
1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर
41 की गोचर भूमि में दिनांक 20.09.1982 को जारी पट्टा विलेख निरस्त
करने बाबत।

पंचायत निगरानी संख्या :- 33 / 2019

प्रार्थी

पुखदास पुत्र भंवरदास, जाति साद, निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी,
जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. भल्लाराम पुत्र रामाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी,
जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत बोरानाडा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बोरानाडा।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,
1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर
41 की गोचर भूमि में दिनांक 20.09.1982 को जारी पट्टा विलेख निरस्त
करने बाबत।



पंचायत निगरानी संख्या :- 34 / 2019

प्रार्थी

पुखदास पुत्र भंवरदास, जाति साद, निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्रीमती गैरी देवी धर्मपत्नी भल्लाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत बोरानाडा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बोरानाडा।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 41 की गोचर भूमि में दिनांक 20.09.1982 को जारी पट्टा विलेख निरस्त करने बाबत।

पंचायत निगरानी संख्या :- 35 / 2019

प्रार्थी

पुखदास पुत्र भंवरदास, जाति साद, निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्रीमती गैरी देवी धर्मपत्नी भल्लाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत बोरानाडा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बोरानाडा।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 41 की गोचर भूमि में दिनांक 20.09.1982 को जारी पट्टा विलेख निरस्त करने बाबत।

उपस्थित

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री अनिल राठी उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अभिभाषक श्री राजेश शर्मा उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक :-30.07.2019

प्रार्थी अभिभाषक ने यह चारों पंचायत निगरानियाँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 41 की गोचर भूमि में दिनांक 20.09.1982 को जारी पट्टा विलेखों को निरस्त करने हेतु पेश की है। चारों में विवाद का बिन्दू एक समान होने से चारों का एक ही निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति चारों निगरानियों में लगाई जावें। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोरानाडा खसरा नं0 41 की गोचर भूमि थी एवं गोचर भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी उक्त चारों पंचायत निगरानियों में सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा ने खसरा नं0 41 की गोचर भूमि में दिनांक 20.09.1982 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा ने दिनांक 20.09.1982 को उक्त चारों पट्टे जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से फर्जी/कूटरचित एवं बनावटी पट्टे जारी किये हैं। ऐसे पट्टों का पंचायत में किसी तरह का कोई रेकॉर्ड नहीं है, न ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर है, न ही कोई रसीद है, न ही कोई पत्रावली अप्रार्थीगण को जारी पट्टे से संबंधित है।

ग्राम बोरानाडा के खसरा नं0 41 जो गोचर भूमि है उक्त गोचर भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उक्त निगरानियों में जारी पट्टे से पूर्व इनके नाम से ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में कई पट्टे जारी किये हुए हैं। इससे व्यथित होकर यह चारों पंचायत निगरानियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा यह निगरानियाँ इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अनिल राठी ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री राजेश शर्मा ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। इन निगरानियों में जारी पट्टे से संबंधित मूल रेकॉर्ड ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बोरानाडा पंचायत समिति लूणी से तलब करने पर उन्होंने अपने पत्रांक क्रमांक — 2019/ग्रापं0बो/19 दिनांक 17.05.2019 के द्वारा अवगत कराया कि वर्ष 1982 में पट्टे जारी करने से संबंधित किसी प्रकार का रेकॉर्ड वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 09.07.2019 को सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक श्री अनिल राठी ने अपनी प्रारम्भिक आपत्तियों में कथन किया कि प्रस्तुत पंचायत निगरानियां अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के तहत प्रार्थी पुखदास द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिनके आधार पर प्रार्थी की यह निगरानी गुणावगुण पर विचार किये बिना ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी पुखदास ने पूर्णरूप से गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानियां प्रस्तुत की है जो किसी भी आधार पर चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी को ऐसी निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी पुखदास किसी भी रूप में विवादित पट्टाशुदा भूमि में हितबद्ध व्यक्ति नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 के योग्य अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में यह भी कथन किया कि प्रस्तुत निगरानियां मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। उक्त विवादित पट्टे वाली भूमि पर अप्रार्थी का 50 वर्षों से अधिक व उसके पूर्वजों की कब्जाशुद भी रही है। इस विवादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा चुका है। उक्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करके ही नियमानुसार निर्माण कार्य करवाया। इसकी जानकारी ग्राम के सभी व्यक्तियों को है और प्रार्थी को भी थी। पट्टा जारी होने के 36 सालों के बाद निगरानियां प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य होना बताया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों पर बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 की मुख्य आपत्ति निगरानी समय अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई है। इस बाबत् राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में समय अवधि का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत पंचायत के किसी आदेश के विरुद्ध 30 दिवस के भीतर पंचायत समिति के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है, परन्तु आलौच्य पट्टा 20.09.1982 में जारी किये जाने से अपील मियाद समाप्त हो चुकी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में यह भी स्पष्ट किया गया कि “राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट

दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगी।” अतः अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों को एतद् निरस्त किया जाता है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ने पूर्णरूप से गलत व बेबुनियादी आधारों पर यह निगरानियां आपके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। प्रार्थी ने उत्तरदाता/अप्रार्थी के अलावा उत्तरदाता/अप्रार्थी के पति श्री भल्लाराम के विरुद्ध भी अलग से निगरानी प्रस्तुत की है। प्रार्थी ने गलत रूप से विधिवत व विधि अनुसार जारी पट्टा दिनांक 20.09.1982 को फर्जी/कूटरचित व बनावटी बतलाया है। अप्रार्थी के हक में ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा सम्पूर्ण आवश्यक कार्यवाहीया करने के उपरान्त पुराने कब्जे के आधार पर विवादग्रस्त भूमि का पट्टा जारी किया है जिसका सम्पूर्ण रेकर्ड ग्राम पंचायत बोरानाडा के ग्राम सेवक के पास उपलब्ध है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.08.1982 में सरपंच श्री त्रिलोकाराम, वार्डपंच पेमाराम, उस्मान खां व मांगीलाल व ग्राम सचिव सूरजमल बीडीओ श्री गुमानसिंह, उपसरपंच लूम्बाराम पंच लक्ष्मणराम व शिवाराम की उपस्थिति में राजकीय विकास विभाग जयपुर के पत्रांक 194 दिनांक 14.04.1982 व श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के पत्र संख्या 1395 दिनांक 14.05.1982, विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी के आदेश संख्या 197-206 दिनांक 02.06.82 के तहत निःशुल्क आवासीय प्लॉट देने का प्रस्ताव ग्राम सेवक सूरजमल ने रखा। जिस पर विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से खसरा नं0 41 ग्राम बोरानाडा की 5 बीघा भूमि आवासीय संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। जारी किये गये पट्टे के संबंध में उपलब्ध रेकर्ड की प्रमाणित प्रति अप्रार्थी ने पूर्व में ग्राम पंचायत से प्राप्त की है। अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज करवाये गये फौजदारी मुकदमें में तत्कालीन ग्राम सेवक छोटूसिंह ने बयान दिया कि अप्रार्थी के पट्टे की फोटोप्रति को मेरे द्वारा ग्राम पंचायत का रेकर्ड देखकर दिनांक 07.07.1993 को प्रमाणित किया गया था। इस प्रकार अप्रार्थी को जारी पट्टे से संबंधित रेकर्ड वर्ष 1993 तक ग्राम पंचायत में उपलब्ध था। अप्रार्थी को जारी पट्टे से संबंधित किसी राजनैतिक दबाव से रेकर्ड में से गायब करवा दिया। इस प्रकार प्रार्थी पूर्णरूप से साजिश रचकर गलत रूप से निगरानी प्रस्तुत की है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 के योग्य अभिभाषक ने अपनी लिखित व मौखिक बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी निगरानी का आधार यह लिया कि खसरा नं0 41 की भूमि वर्ष 1982 में गोचर थी और गोचर भूमि में पंचायत को पट्टा

जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पंचायत ने पूर्ण रूप से सही पट्टा जारी किया प्रार्थी ने अपनी निगरानी में यह स्वीकार किया कि वैष्णव समाज को राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु सहायता राशि दिये जाने का कथन किया। वैष्णव समाज का भवन इसी विवादित खसरा नं0 41 में बनाया गया है। उक्त भूमि गोचर थी तो किस आधार पर राज्य सरकार ने भवन निर्माण हेतु सहायता राशि दी और तत्कालीन सरपंच ने पुराने कब्जे के आधार पर एवं राजस्थान सरकार जयपुर के विभागीय आदेश क्रमांक 194 दिनांक 14.04.1982 व जिलाधीश जोधपुर के पत्रांक संख्या 1395 दिनांक 14.05.1982 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य को पट्टे जारी किये है जो विधि अनुसार जारी किये गये है। प्रार्थी ने गलत रूप से निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में कृषि भूमि, आबादी के प्लॉट, दुकाने व मकान इत्यादि होने के बावजूद अप्रार्थी को निःशुल्क पट्टा जारी नहीं हो सकता और अप्रार्थी के पास आबादी भूमि की पट्टासुद भूमि होने के कारण दुबारा पट्टा जारी नहीं होने का आधार लिया है जो पूर्णरूप से गलत है। निगरानी के साथ प्रार्थी ने ऐसा एक भी दस्तावेज नहीं किया जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी के पास इससे विवादित भूमि के अलावा आबादी भूमि के पट्टे जारी हो। यहां तक निःशुल्क पट्टा जारी करने का प्रश्न है वह राजस्थान सरकार से संबंधित विभाग एवं श्रीमान जिलाधीश के आदेश पर जारी हुआ है जो विधि अनुसार जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि खसरा नं0 41 का रकबा बहुत बड़ा है। इसी खसरे में आंगनवाड़ी केन्द्र बोरानाडा, ग्राम सेवक भवन बोरानाडा, उपस्वास्थ्य केन्द्र बोरानाडा व पटवारघर बोरानाडा बनाये हुए है, इसके अलावा इसी गोचर भूमि में रीको प्लांट जोधपुर बोरानाडा, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बोरानाडा को लीज पर दी हुई है। खसरा नं0 रकबा 12.11 बीघा 07 बिस्वांशी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है जिस पर पक्के मकान, बाड़ा, दुकान व दीवार इत्यादि बनाकर ग्रामवासी पिछले 40-50 वर्षों से निवास कर रहे है। उनको सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। इस प्रकार वर्तमान में खसरा नं0 41 गोचर भूमि के रूप में नहीं रही।

प्रार्थी व उसके भाईयों का अप्रार्थी से आए दिन भूमियों को लेकर झगड़ा चलता रहता है। प्रार्थी भी बोरानाडा का निवासी है, जो पिछले कई वर्षों से से

अप्रार्थी व उसके परिवार को विवादित जायदाद का उपयोग—उपभोग करते हुए देख रहा है। अतः प्रार्थी ने पूर्ण रूप से म्याद बाहर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो म्याद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा पूर्व सरपंच त्रिलोकराम ने प्रार्थी द्वारा दर्ज कराये फौजदारी मुकदमें में पुलिस के समक्ष बयान दिया कि पट्टे विधिवत व विधि अनुसार जारी किए गये हैं। प्रार्थी ने पूर्ण रूप से गलत आधार बनाकर निगरानी प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिज है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पंचायत निगरानियां को मया खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी को प्रार्थी से विशेष हर्जाने के रूप में रुपये 51,000/— दिलवाये जावें।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने अपनी जवाबुल जवाब/लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिस स्थान का पट्टा जारी किया गया है, वह खसरा नम्बर 41 की वर्ष 1982 में गोचर भूमि थी एवं गोचर भूमि के बाबत ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। विधि की यह सुस्पष्ट स्थिति है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि के बाबत ही पट्टा जारी कर सकती है। खसरा नम्बर 41 में से 10 बीघा भूमि आबादी की गई थी, जिसका नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है एवं जिसके खसरा नम्बर 41/1 है, जो तरमीमसुदा है। जो पट्टा जारी किया गया वह खसरा नम्बर 41/1 की भूमि का न होकर खसरा नम्बर 41 गोचर भूमि का था। स्वयं अप्रार्थी ने अपने जवाब में भी खसरा नम्बर 388/41 10 बीघा गैर मुमकिन आबादी ग्राम पंचायत बोरानाडा के अधीन भूमि होना बताया है। यह भूमि वर्ष 1968 में जिला कलक्टर, महोदय द्वारा आबादी की गई थी, जिसके पट्टे पूर्व में ही जारी कर दिये गये थे, जिसका नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी ने जो जवाब प्रस्तुत किया है, उससे भी यह कतई स्पष्ट नहीं होता है कि जिस स्थान का पट्टा जारी किया गया, वह आबादी भूमि का भाग हो, इसलिए अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा बिना क्षेत्राधिकार का व एबइनिशियो वोर्ड व शून्य है, जिसे किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

पंचायत यदि कोई पट्टा जारी करती है तो उसके बाबत पंचायत में पत्रावली होती है, उसका प्रार्थना पत्र होता है, मौका निरीक्षण रिपोर्ट होती है, फिर आपसी बातचीत से पट्टा बनाना है या नीलामी से पट्टा जारी करना है, इस बाबत उल्लेख होता है एवं भूमि का पट्टा जारी करने के बाबत अस्थाई निर्णय होता है एवं बाद में स्थाई निर्णय होता है, जो ग्राम पंचायत द्वारा किया

जाता है। चूंकि अप्रार्थी ने पट्टे फर्जी व बेकडेट में बनाये हैं, इसलिए कोई पत्रावली होना संभव ही नहीं था। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा बार-बार पट्टों के रेकर्ड बाबत मांग की तो ग्राम विकास अधिकारी ने यह लिखकर दिया कि ऐसा कोई रेकर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

कोई भी आबादी भूमि का पट्टा जारी होता है तो उस बाबत कुछ न कुछ राशि जमा होती है जो कम से कम 100-200/-रुपये भी हो सकती है एवं नीलामी की स्थिति में ज्यादा भी होती है, लेकिन बेकडेट में न तो कोई रसीद कट सकती है, न ही कोई राशि जमा हो सकती है। ऐसी स्थिति में न तो किसी पट्टे में राशि जमा होने का उल्लेख है एवं न ही अप्रार्थी ने अपने जवाब में कही पर उल्लेखित किया है कि उन्होंने कोई राशि पट्टे बाबत जमा करवाई हो।

प्रार्थी ने अपनी निगरानी में यह भी कथन किया है कि सरपंच त्रिलोक राम के हस्ताक्षर फर्जी हैं। यह पट्टा अभी हाल ही में पुरानी तारीख लगाकर बनाया गया है। पट्टे में न तो कोई मिसल नम्बर का अंकन है, न ही पट्टा नम्बर का अंकन है। इस प्रकार कथित पट्टा पूर्णतया गलत व गैर कानूनी है।

अप्रार्थी गैरी देवी, उसके पति व उसके परिवार के सदस्यों के नाम प्रार्थी की जानकारी के अनुसार पट्टे अनाधिकृत रूप से बनाये गये हैं। किसी भी एक ही परिवार के सदस्यों को इतने पट्टे समय-समय पर जारी नहीं किये जा सकते एवं ऐसा करना विधि के प्रावधानों की अवहेलना है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 156-क के अनुसार आपसी बातचीत से पट्टा वहीं दिया जा सकता है, जहां पर किसी व्यक्ति का उस भूमि पर न्यायसंगत दावा हो एवं पंचायत का ऐसा मानना हो कि नीलामी करने से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती।

अप्रार्थी के मामले में अप्रार्थी का जिस स्थान पर पट्टा जारी किया गया, उस स्थान पर न तो न्यायसंगत दावा था एवं न ही नीलामी के जरिये उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा कोई पंचायत का प्रस्ताव है। यदि भूखण्ड की नीलामी होती तो लाखों रुपये की राशि नीलामी में प्राप्त हो सकती थी। नियम 157 में जो पुराने मकान बने होते हैं, उनमें भी पट्टे जारी करने के बाबत कम से कम 100-200/-रुपये की राशि जमा करवाने का प्रावधान है जबकि प्रार्थी का न तो तत्समय कोई कब्जा था एवं न ही न्यायसंगत दावा था।

जिस स्थान का पट्टा जारी किया गया, उस स्थान पर अप्रार्थी भल्लाराम का कोई कब्जा नहीं है बल्कि वैष्णव समाज की समाधि एवं समाज

भवन बने हुए है, जो 50 वर्षों से भी अधिक पुराने बने हुए है, जिसमें राज्य सरकार ने समय-समय पर सहयोग देकर निर्माण कार्य करवाया है। समाज भवन की फोटो संलग्न है तथा बिजली के बिलों की फोटो कॉपी भी संलग्न है। इस समाज भवन में लम्बे समय से बिजली-पानी का कनेक्शन भी वैष्णव समाज की समिति के नाम का है। श्रीमान् चाहे तो इस संबंध में मौका रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में इस स्थान का पट्टा किसी भी सूरत में अप्रार्थी भल्लाराम के नाम से जारी नहीं हो सकता था।

अप्रार्थी या उसके परिवार के सदस्यों के पास पहले से ही काफी भूखण्ड, मकान, बाड़े व कृषि भूमि थी। ऐसी स्थिति में भी बिना नीलामी रियायत दर से कोई भूखण्ड अप्रार्थी को नहीं दिया जा सकता था। ऐसा करने से राज्य सरकार व पंचायत को लाखों रूपयों का नुकसान हुआ है। हालांकि गोचर भूमि के संबंध में कोई पट्टा जारी हो ही नहीं सकता है। ऐसा पट्टा अपने आप में ही विधि विरुद्ध व शून्य प्रभावी है।

अप्रार्थी द्वारा जवाब में मियाद बाहर बाबत जो आपत्ति की गई है, उस संबंध में यह स्पष्ट लेख है कि तथाकथित पट्टा फर्जी बेकडेट में जारी किया गया है एवं थोड़े समय पूर्व ही उनको अप्रार्थी ने बाहर निकाला है एवं जो पट्टा बिना क्षेत्राधिकार के एबइनिशियो वॉर्ड है, उसमें मियाद का बंधन किसी तरह से लागू नहीं हो सकता है।

जहां तक अप्रार्थी का यह कहना है कि प्रार्थी हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, इस संबंध में यह लेख है कि गोचर भूमि में जारी पट्टे के संबंध में कोई भी व्यक्ति निगरानी कर सकता है एवं जहां वैष्णव समाज का भवन बना हुआ है, उस भूमि के बाबत पट्टा जारी करने से भी वैष्णव समाज के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ता है। प्रार्थी वैष्णव समाज का सदस्य भी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की आपत्ति कोई मयाने नहीं रखती है।

खसरा नम्बर 41 की भूमि गैर मुमकिन गोचर की भूमि है एवं गांव के प्रत्येक नागरिक को इस संबंध में आपत्ति करने का अधिकार है। जहां कोई भी पट्टा गोचर की भूमि या ओरण की भूमि के बाबत दिया जाता है तो उसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है। ऐसे पट्टों को निरस्त करने के लिए मियाद का कोई बंधन नहीं है। अप्रार्थी ने अपने स्वयं के नाम, अपनी पत्नी के नाम से, पुत्र-पुत्रवधू के नाम से कुल 25-30 अलग-अलग पट्टे फर्जी रूप से बना रखे है एवं सरकारी व गोचर की भूमि को हड़पने का कार्य करता है, जो पूर्णतया अनुचित है।

म्युटेशन संख्या 301 के जरिये खसरा नम्बर 41 गोचर की भूमि में से आधा-आधा बीघा के 4 टुकड़े गैरीदेवी पत्नी भलाराम, खेती पत्नी मोतीराम (भलाराम के भाई की पत्नी), मुतरा पत्नी ढलाराम (भलाराम के काका के बेटे भाई की पत्नी), गोदाराम पुत्र खीयाराम (भलाराम के काका के बेटे भाई) के नाम से गलत रूप से तहसीलदार से आवंटन करवाकर म्युटेशन भरा गया एवं 2 बीघा गोचर की भूमि अलग से हड़प ली। इसके अलावा भलाराम के पास ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 244/2 की 2 बीघा आवासीय, खसरा नम्बर 281 की 11 बीघा 14 बिस्वा आवासीय भूमि है, जो म्युटेशन संख्या 681 से स्पष्ट है। भलाराम के नाम से आवासीय पट्टे भी अतिरिक्त कलक्टर भूमि रूपांतरण ने समय-समय पर जारी किये हैं, जिनकी फोटो कॉपियां भी संलग्न हैं।

भलाराम कोई भूमिहीन व्यक्ति नहीं था, न ही ऐसा कोई व्यक्ति था कि उसके या उसके परिवार के पास कोई मकान व भूखण्ड हो ही नहीं एवं उसे निःशुल्क भूखण्ड दे दिया जावे। इस प्रकार इसमें नियमों की पूर्ण रूप से अवहेलना हुई है।

खसरा नम्बर 41/1 की भूमि सड़क के पश्चिम की तरफ है, जबकि विवादित पट्टे सड़क के पूर्व की तरफ के हैं, इसलिए वे गोचर भूमि में हैं। अप्रार्थी ने अपने जवाब में भी ऐसा तथ्य नहीं बताया है कि पट्टे गोचर भूमि में न हो।

खसरा नम्बर 41/1 की 10 बीघा आबादी भूमि जो पंचायत को आवंटित हुई, उसका नक्शा संलग्न है, वह भूमि सड़क के पश्चिम में है, जबकि अप्रार्थी के पट्टे सड़क के पूर्व की तरफ हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार पंचायत के नियमों व प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना हुई है एवं गोचर की करोड़ों रूपयों की भूमि के पट्टे गलत रूप से अप्रार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों ने समय-समय पर जारी करवा लिये हैं, ऐसे पट्टे हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त स्थिति में प्राथी द्वारा सही तथ्यों पर प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार फरमाते हुए तथाकथित अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किये जाने का आदेश पारित फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस/जवाब/दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति है कि प्राथी पुखदास पुत्र भंवरदास जाति साद निवासी बोरानाडा तहसील लूणी ने उक्त चारों पंचायत निगरानियों में जारी पट्टा जो खसरा नं0 41 गै0 मु0 गोचर भूमि में जारी किये

गये को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। प्रस्तुत निगरानी से संबंधित मूल रेकर्ड ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत बोरानाडा से तलब करने हेतु लिखा गया था। ग्राम सेवक ने अपने पत्रांक 2019/ग्रा.प.बो./19 दिनांक 17.05.2019 के द्वारा लिखित में अवगत कराया कि वर्ष 1982 में जो ग्राम पंचायत बोरानाडा ने पट्टे जारी किये है, इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई रेकर्ड वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में यह जाहिर किया कि ग्राम पंचायत बोरानाडा की बैठक दिनांक 20.08.1982 को सरपंच एवं वार्ड पंच की उपस्थिति में बैठक हुई थी, उस बैठक में सर्वसम्मति से राज्य सरकार के आदेश व जिलाधीश जोधपुर के आदेश दिनांक 19.04.82 के परिक्षेप में पट्टे जारी किये है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब के साथ न तो ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.08.1982 से संबंधित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक होना पाया जाता है।

सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा ने दिनांक 20.09.1982 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख जो परिशिष्ट (ब) में जारी किया है, उक्त परिशिष्ट के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों/लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड का प्रपत्र लिखा है। जिसमें अप्रार्थीगण को खेती (लघु सीमान्त) होना लिखा है लेकिन अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ लघु सीमान्त कृषक होने बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टे की छायाप्रति का अवलोकन करने से यह पाया गया कि उक्त पट्टे पर पट्टा नम्बर अंकित नहीं है और न ही मिसल नम्बर अंकित है। इससे यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार की पट्टा जारी करने से संबंधित मिसल कायम नहीं की।

प्रस्तुत निगरानी संख्या 34/2019 में श्रीमती गैरी देवी पत्नी भलाराम जाति जाट को जारी पट्टे में खसरा नं0 41 अंकित है। उक्त जारी पट्टा 1350 वर्गफुट है। इसी प्रकार निगरानी संख्या 35/2019 में श्रीमती गैरी देवी को उसी खसरे में जारी दूसरे पट्टे का क्षेत्रफल 1347.5 वर्गफुट अंकित है। निगरानी संख्या 32/2019 में भलाराम पुत्र रामाराम जाट को उसी खसरे में जारी पट्टे का क्षेत्रफल 1344 वर्गफुट अंकित है और निगरानी संख्या 33/2019 अप्रार्थी संख्या 1 भलाराम पुत्र रामाराम जाति जाट से उसी खसरे में जारी पट्टे का क्षेत्रफल 1344 वर्गफुट अंकित है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 (2) में राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले को भूमि का आवंटन निःशुल्क करने का अधिकार पंचायत को दिया गया है। पहले यह अधिकार राज्य सरकार में निहित था तथा एक ही परिवार में एक ही पट्टा दिये जाने का प्रावधान है। निगरानीकर्ता द्वारा फॉर्म संख्या 3 के साथ प्रस्तुत जारी पट्टे की छायाप्रति का अवलोकन करने से यह पाया गया कि खसरा नं0 14 में जो निःशुल्क पट्टे जारी किये हैं वह अप्रार्थी संख्या 1 से संबंधित परिवारवालों को जारी किये गये हैं। इसी खसरे में अप्रार्थी संख्या भलाराम पुत्र रामाराम को भी निःशुल्क जारी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक से अधिक निःशुल्क पट्टा हासिल किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में यह लिखा है कि विवादग्रस्त पट्टे वाली भूमि पर भवन निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायत से प्राप्त की है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा भवन निर्माण की अनुमति देने पर अप्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाई या नहीं इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

—आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 को जारी पट्टा विलेख जो ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 41 की गोचर भूमि में दिनांक 20.09.1982 को जारी किया गया को एतद् निरस्त किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा पट्टा विलेख हासिल करने हेतु पुनः आवेदन करने पर ग्राम पंचायत बोरानाडा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय पत्रावली के सलग्न हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।